

पर्यावरण एवं वन अधिनियम-33004/99



भारत का

राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1539]

No. 1539]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 2007/अग्रहायणा 22, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2007/AGRAHAYANA 22, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2007

सं. 2125 (अ) —अर्थिक, पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (घ) के तहत दूध घाटी, उधमसिंहगढ़ में उन गतिविधियों जिनके लिए केंद्रीय सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव के परीक्षण के लिए अनुमति दे दी है, का छाड़कर जैविक विविधता पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिनांक 1 जनवरी, 1989 के सं. का.आ. 102(अ) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और, अर्थिक, उच्च अधिसूचना में उद्योगों को तीन क्षेत्रों अर्थात् ग्रोन, ओरेंज और रेड में वर्गीकृत किया गया है और दूध घाटी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को अनुमति देने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा-निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं;

और, अर्थिक, ओरेंज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्योगों का मूल्यांकन राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाना तथा उन्हें अनुमति प्रमाण-पत्र देने से पहले संबंधित प्रस्ताव को केंद्र सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास भेजा जाना अपेक्षित है;

और, अर्थिक, यह परिकल्पना की गई थी कि ओरेंज श्रेणी के अंतर्गत शामिल प्रस्तावों के मामले में जारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो कि दिनांक 2 जुलाई, 2005 के का.आ. 943(अ) के तहत जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र की परिशोधनों को पर्यावरणीय मंजूरी देने समग्र अपनाई जाती है;

और, अर्थिक, दिनांक 27 जनवरी, 1994 के का.आ. 60(अ) के तहत जारी उच्च पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना को दिनांक

4930 072097

14 सितम्बर, 2006 के सं.आ. 1535(अ) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा अंगिकृतित हुआ जाना जाएगा:

अतः, अब, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, यह निर्देश दिया जाता है कि दूध घाटी, उधमसिंहगढ़ में विकास कार्य से संबंधित सभी प्रस्तावों को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हुए आंच की जाएगी :-

- (i) ऐसे सभी परिशोधनों को 14 सितम्बर, 2006 के सं. का.आ. 1535(अ) के तहत जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूची में शामिल की गई हैं, को लिए उक्त अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी।
- (ii) ऐसी सभी परिशोधनों को उक्त पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, और ओरेंज श्रेणी के अंतर्गत आती हैं उच्च पर, उच्च स्तर के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिनियम द्वारा विचार किया जाएगा।
- (iii) उधमसिंहगढ़ राज्य के लिए राज्य स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण का गठन होने तक, प्रस्तावों को जांच, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टिप्पणियों प्रत्या होने के पर्यन्त, उन्हें मूल्यांकन समिति के पास भेजे बिना, केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

[सं. डे-11013/25/2005-आं.ए. II (1)

रा. आनन्दकुमार, ई.तांत्रिक, जे.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
ORDER

New Delhi, the, 13th December, 2007

S.O. 2125 (E).—Whereas, a notification under clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection)

(1)

Rules, 1986, imposing restrictions on various activities in Doon Valley Uttarakhand, except those activities which are permitted by the Central Government for examining the environmental impacts, was issued *vide* No. S.O. 102(E) dated the 1st February, 1989;

And, whereas, the said notification classified industries into three categories; namely, green, orange and red and also prescribed guidelines for permitting and restricting industrial units in Doon Valley Area;

And, whereas, industries falling in the orange category are required to be assessed by State Pollution Control Board and referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests before granting 'No Objection Certificate';

And, whereas, it was envisaged that the proposals covered under orange category shall follow the same procedure as is being followed for the environment clearance of industry sector projects under Environment Impact Assessment Notification, 1994, issued *vide* S.O. 943(E) dated the 4th July, 2005;

And, whereas, the said Environment Impact Assessment notification issued *vide* S.O. 60(E) dated the 27th January, 1994 has been superseded by the notification *vide* number S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, it is hereby directed that all proposals relating to development in Doon Valley will be examined as per the following procedure:—

- (i) All those projects which are covered in the schedule under the Environment Impact Assessment notification issued *vide* number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006 will follow the procedure laid down in that notification.
- (ii) All those projects which are not covered under the EIA notification but which fall under the orange category shall be considered by the State level Environment Impact Assessment Authority.
- (iii) Till such time as the State level Impact Assessment Authority is constituted for the State of Uttarakhand, the proposals will be examined by the Central Government, without referring them to the Appraisal Committee, after obtaining the comments of the State Pollution Control Board.

[No. J-11013/25/2005-IA-IT(I)]

R. ANANDAKUMAR, Scientist 'G'